डी.एल.एड.प्रथम / द्वितीय वर्ष के निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक/728 /परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल दिनांक 13 /04 /2018

//आदेश//

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्रमांक/687–88/प.स./2012 दिनांक 17.12.2012 अनुसार–''सत्र 2012–2013 से डी एड प्रथम वर्ष के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु निरन्तर दो अवसर (मुख्य तथा अनुगामी परीक्षा) प्रदान किये जाने का प्रावधान है।'' यदि अभ्यर्थी दो निरन्तर अवसरों का लाभ लेने के उपरांत भी प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है, तो अभ्यर्थी को पुनः प्रवेश लेकर निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2014 को जारी अधिसूचना कण्डिका 2.1 के अुनसार डी.एल.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक–वर्षो की अवधि वाला होगा, किन्तु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा यचिका क्रमांक 2771/2017 एवं अन्य समान याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2017 के अनुसार "In veiw whereof, these petitions are disposed of with a direction to the Board to permit the students/incumbents who were otherwise eligible to appear in the examination if such right accrued prior to their completion of three years and that after appearing in such examination, they will clear course within three years from them admission to the course."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं एन.सी.टी.ई द्वारा भारत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 की कण्डिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के अनुक्रम में डी. एल. एड. के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 687–88/प.स./2012 दिनांक 17.12.2012 को अधिक्रमित करते हुए, प्रवेशित सत्र (प्रवेशित वर्ष के माह जुलाई) से अधिकतम निरन्तर तीन वर्ष की अवधि में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया जावेगा।'' यदि अभ्यार्थी प्रवेशित सत्र (माह जुलाई) से अधिकतम तीन निरन्तर वर्षो की अवधि में भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है, तो अभ्यर्थी को पुनः प्रवेश लेकर निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगी, परन्तु एन.सी.टी.ई. संशोधित विनियम 2014 के लागू होने के उपरान्त डी.एल.एड. के आगामी शैक्षणिक सत्र 2015–16 में प्रवेशित छात्रों को डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के अनुत्तीर्ण विषयों में वर्ष 2018 की मुख्य परीक्षा जून/जुलाई 2018 हेतु अंतिम अवसर दिया जावेगा। शैक्षणिक सत्र 2016–17 के प्रवेशित छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/729 /परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल दिनांकः 13 /04 /2018

प्रतिलिपि–

1. नि.स. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. नि.स. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त आदिवासी विकास सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
10. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय डी एड संस्थान मध्यप्रदेश ।
11. सी एस ओ/पंजीयक–डाटा, परीक्षा/जनसम्पर्क अधि/विधि सहा./स.स./क.अ.–गोपनीय, परीक्षा, डी.एड.सेल।
12. नि.स–सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल